



माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी 15

निम्न /३७०१ - प्र/ १५

- 1- ममता पिता श्री मोहनलाल
- 2- कृष्णबाई पिता श्री मोहनलाल
- 3- माया पिता श्री मोहनलाल
- 4- रेखा पिता श्री मोहनलाल

निवासीगण—ग्राम गुराड़िया, तहसील
नलखेड़ा, जिला आगर —आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- तहसीलदार महोदय, तहसील नलखेड़ा
- 2- मोहनलाल पिता जगन्नाथ,
निवासी—ग्राम गुराड़िया, तहसील नलखेड़ा
- 3- संतोष पिता गंगाराम
निवासी—ग्राम गुराड़िया, तहसील नलखेड़ा
—अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, नलखेड़ा जिला आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 26/09/2015 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करते हैं :—

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि, विधान एवम् रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते अनावेदक क्रं. 2 द्वारा उनके पूर्वजो से मिली हुई भूमि सर्वे नंबर 102/3, 109/3, रकबा 0.59 है। स्थित ग्राम गुराड़िया खाती तहसील नलखेड़ा जिला आगर में स्थित है। अनावेदक क्रं. 2 द्वारा उक्त भूमि दिनांक 15/05/2015 को आवेदकगण की जानकारी के बगैर



XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3701-तीन/15

जिला - आगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१९ को कलेक्टर, जिला आगर के समक्ष उपस्थित हैं।</p> <p style="text-align: right;">~</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	